न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 04 / 2019

उनवान

530 (1) गौतम पिता कचरा निनामा जाति आदिवासी निवासी बेडया परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) राजेश पिता कलु निनामा जाति आदिवासी निवासी बेडवा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(3) महेश पिता कलु निनामा जाति आदिवासी निवासी बेडवा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(4) विष्णु पिता कलु निनामा जाति आदिवासी निवासी बेडवा परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 06.4.2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की निम्न कृषि भुमि वाके परतापुर तहसील गढी जिला बांसवाडा मे स्थित है:–

खाता संख्या	खसरा सं0 साबिक	खसरा सं0 हाल	
148 पुराना	5	1	
	6	1	
	7	1	2648 / 1
	10	1	2
	11	1	2
	13	1	
	529	4	
	544	4	
	898	993	
कुल खेत नंग	09	09	

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.16 14:24:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमि खाता संख्या 148 की संवत 1939 में उनके पितृ पुरुष श्री मंगलिया के नाम दर्ज रेकार्ड होकर सेटलमेंट के दौरान उक्त भूमि राजस्व अधिकारियों द्वारा श्री सरकार दर्ज रेकार्ड कर दी। प्रार्थीगण की वंशावली निम्नानुसार है:–

- मंगलिया
  - कचरा
    - नानीया उर्फ कलु
      - राजेश
      - महेश
      - विष्णु
    - गौतम
      - गट्टा
      - स्व. दिलीप
      - राजु
      - संतोष

प्रार्थीगण की उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज हो जाने से प्रार्थीगण ने राजस्व अधिकारीयों एवं कर्मचारियों से कई बार निवेदन किया परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने कोई रूचि नही ली और प्रार्थीगण के खाता संख्या 148 के समस्त आराजीयात फर्जी तरीके से श्रीसरकार दर्ज को शुद्धी नही की । जिस वजह से प्रार्थीगण अत्यन्त परेशान है। प्रार्थीगण ने गत राजस्व कैम्प में समस्त रेकार्ड संवत 2039 के खाते की नकल एवं उनके तुलनात्मक नम्बरान एवं वर्तमान रेकार्ड प्रस्तुत कर निवदेन किया परन्तु राजस्व अधिकारियों ने इंकार कर दिया। जिस वजह से प्रार्थीगण की ओर से धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाकर कथन किया कि ग्राम परतापुर की खतौनी सेटलमेन्ट सन् 1939–40 खाता संख्या 148 रैयत पट्टेदार श्री मंगलिया पिता हीरा जाति भील सा.देह के नाम सर्वे नम्बर 5 रकबा 16 बिस्वा, सर्वे नम्बर 6 [illegible] 07 बिस्वा, सर्वे नम्बर 7 रकबा 19 बिस्वा, सर्वे नम्बर [illegible] 01 बीघा 11 बिस्वा, सर्वे नम्बर 13 सर्वे नम्बर 10 रकबा 01 बीघा 6 बिस्वा, सर्वे नम्बर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.16 14:24:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

रकबा 17 बिस्वा, सर्वे नम्बर 529 रकबा 6 बिस्वा, सर्वे नम्बर 544 रकबा 3 बिस्वा, सर्वे नम्बर [illegible] रकबा 01 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 9 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। सन् 1974 में कडाना सेटलमेंन्ट में पूर्व सर्वे नम्बर 5, 6, 7, 10, 11, 13, 529 व 544 के नये नम्बर 1, 2 व 4 दर्ज किये जो आबादी व रास्ता के रूप में दर्ज होना अवगत कराया।

प्रकरण में प्रार्थीगण के अभिभावक की बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने तथा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, भू–प्रबन्ध विभाग मिलान क्षेत्रफल संवत 2043, खतौनी जमाबन्दी संवत 2030, खतौनी सेटलमेंन्ट डिपार्टमेंन्ट रियासत सन् 1939, तुलनात्मक पत्र संवत 2030, जमाबन्दी संवत 2043, नक्शा मौजा फरतापुर सन् 1944, नक्शा किश्तवार मौजा फरतापुर संवत 2030, खसरा पत्रक संवत 2039,खसरा पत्रक संवत 2029, जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 तथा तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि पटवार हल्का फरतापुर के मौजा फरतापुर की खतौनी सेटलमेंन्ट सन् 1939–40 की खाता संख्या 148 के सर्वे नम्बर 5, 6, 7, 10, 11, 13, 529 व 544 के नये सर्वे नम्बर 1, 2 व 4 दर्ज किये जो वर्तमान में आबादी व रास्ता के रूप में दर्ज होकर प्रार्थीगण द्वारा सन् 1939–40 के बाद एंव सन् 1974 के कडाना सेटलमेंन्ट से पूर्व के कोई दस्तावेज स्वंय की खातेदारी की साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नही किये गये है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.4.2021 को जारी किया गया।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.16 14:24:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner